IV 14

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA DICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH L 464219

न्यास का विलेख

हम कि राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 रामकृपाल सिंह एवं श्रीमती माधुरी सिंह पत्नी श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह एवं विनीत कुमार सिंह व सुनीत कुमार सिंह पुत्रगण श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह वर्तमान निवासीगण मोहल्ला- उमरपुर हरिबन्धनपुर, परगना- हवेली, तहसील- सदर, शहर व जनपद - जौनपुर के हैं और एतद्द्वारा आज दिनांक 15-01-2010 ई0 को निम्नलिखित विवरण के साथ एक न्यास का सृजन कर रहें हैं और उसके लिए अपनी निम्नलिखित उस न्यास के पक्ष में अन्तरित/निवेशित कर रहें हैं और उसके लिए इस विलेख का आज दिनांक 15-01-2010 को निष्पादन स्वेच्छया एवं सहर्ष कर रहें हैं।

न्यास का विवरण :

(1) न्यास के सृजक एवं संस्थापक	:	वर्तमान विलेख के निष्पादकगण उपरोक्त
(2) न्यास का नाम	:	स्व0 ठाकुर रामकृपाल सिंह स्मृति शिक्षक एवं समाज कल्याण ट्रस्ट।
(3) न्यास का मुख्यालय	:	उमरपुर हरिबन्धनपुर, मछलीशहर रोड, जौनपुर
(4) न्यास का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य

(5) न्यास के उद्देश्य :

(1) मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना।

(2) जाति, लिंग सम्प्रदाय, राजनीति से भिन्न समरसतापूर्ण समाज का निर्माण करना।

(3) आधुनिक प्रौद्योगिकी विज्ञान के मार्फत विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूँढना तथा इसके

राजेन्द्र प्रताप सिंह

क्रम संख्या 6326 स्टाम्प विक्रय की तिथि 25-1-10

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प का मूल्य [illegible]

[illegible]

लाइसेंस नम्बर 9

लाइसेंस की अवधि 31-12-10

सिविल कोर्ट, जौनपुर

- 1 JAN 2010

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 696189

अध्ययन-अध्यापन एवं शोध के लिए उच्च स्तरीय शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान खोलना।

(4) पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने से सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन तथा इससे सम्बन्धित जन-जागरण एवं जन सहभागिता को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जल संरक्षण, वन संरक्षण एवं भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन यथा- बन्धियों, कूपों, तालाबों, नहरों का निर्माण, मेड़बन्दी, वृक्षारोपण आदि।

(5) शिक्षा के विकास हेतु प्राईमरी विद्यालय से हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक विद्यालय, खोलना और कृषि, इलेक्ट्रानिक, व्यवसायिक, औद्योगिक, तकनीकी शिक्षा हेतु निःशुल्क कोचिंग, शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना व संचालन करना।

(6) महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निराश्रित महिला कल्याण केन्द्रो, नारी निकेतनों, शिल्प कला केन्द्रों, सिलाई-कढ़ाई, कताई, बुनाई, हेयर एण्ड स्किन केयर, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, कम्प्यूटर व टंकण प्रशिक्षण नृत्य एवं गायन आदि के शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना तथा संचालित करना।

(7) ग्रामीण एवं शहरी गरीब, निम्न आय वर्ग लड़कों एवं लड़कियों तथा महिलाओं व पुरूषों को ग्रामोद्योगों व औद्योगिक संस्थानों (इन्ड्रस्टीज) के माध्यम से व शिक्षण/प्रशिक्षण केन्द्र व उद्योगों की स्थापना कर रोजगार के अवसर प्रदान कर स्वावलम्बी बनाना।

(8) संस्थान द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के ग्रामीणों को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चलाना, केन्द्र खोलना व उनके जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार के अवसरों को सृजन करना व प्रशिक्षण देना।

(9) संस्थान द्वारा बेरोजगारों, गरीब किसानों एवं लड़के व लड़कियों को व्यवसायिक शिक्षा देकर उनकी व्यवसाय की स्थापना में सहयोग देना।

राजेन्द्र प्रताप सिंह

2190 25/1/010

राजेन्द्र प्रताप सिंह स्व0 रामकृपाल सिंह
उमरपुर हरिबन्धनपुर हवेली जौनपुर
100/ एकसौ

31/3/10

SENIOR TREASURY OFFICER
22 JAN 2010

यास पत्र

5,000.00	50.00	20	70.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
पुत्र श्री स्व0 रामकृपाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी स्थायी उमरपुर हरिबन्धनपुर पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/1/2010 समय 12:49PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

राजेन्द्र प्रताप सिंह

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(विनय कुमार सिंह)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
29/1/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन
न्यासी

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
पुत्र श्री स्व0 रामकृपाल सिंह
पेशा कृषि
निवासी उमरपुर हरिबन्धनपुर पर0 हवेली तह0
सदर जि0 जौनपुर

राजेन्द्र प्रताप सिंह

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री विमल कुमार यादव विमल कुमार यादव
पुत्र श्री रामलखेलावन यादव
पेशा कृषि
निवासी ढेरापुर पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

व श्री आनन्द सिंह
पुत्र श्री स्व0 राजेन्द्र कुमार सिंह
पेशा व्यापार
निवासी उमरपुर हरि0 पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(विनय कुमार सिंह)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
29/1/2010

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 696190

(10) संस्थान द्वारा ग्रामीण किसानों को वैज्ञानिक विधि द्वारा कृषि करने के लिए जागरूक करना व उनके आय को बढ़ाने के सार्थक प्रयास कर जीवन स्तर में सुधार करना व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना तथा सब्जी/फलोत्पादक निःशुल्क प्रशिक्षण, कार्य करना तथा प्रशिक्षण देना।

(11) ग्राम समाज, निकाय, निगम सरकारी विभागों, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग तथा अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन से दान, चन्दा, ऋण व अनुदान प्राप्त करना और उसे संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

(12) महिला–पुरूष समानता, महिला सशक्तीकरण, महिला शोषण उन्मूलन, दहेज निवारण तथा आत्म निर्भर बनाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, बाल व्यायामशाला, बाल कौशल कार्यशाला, बाल स्वास्थ्य पोषण, सतीप्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करना, शिविर, कार्यशालाओं का आयोजन एवं संचालन करना।

(13) वैज्ञानिक कृषि विस्तार हेतु निःशुल्क कृषि परामर्श केन्द्र, हरित पट्टिका विकास, गृहवाटिका, पार्क, उद्यान विकास, निःशुल्क पौध वितरण केन्द्रों, बायो डीजल हेतु जरट्रोफा कर्कस का उत्पादन आदि के केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन।

(14) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों हेतु चेरिटेबिल अस्पताल व शिविर का आयोजन कर टीकाकरण, स्वास्थ्य, जाँच तथा उपचार करने का प्रयास करना।

(15) भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों प्रेट्रोलियम बचत, सड़क, पंचायती राज, रेलवे बोर्ड/रेल मंत्रालय, सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी

राजेन्द्र प्रताप सिंह

2/9/1 25/1/010

21901-

1001-

3/2/10

न्यासी

TREASURY OFFICER

22 JAN 2010

Registration No.:	14	Year :	2,010	Book No. :	4

0101 राजेन्द्र प्रताप सिंह

स्व0 रामकृपाल सिंह

उमरपुर हरिबन्धनपुर पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 696191

मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कपार्ट सूडा, डूडा, यूनीसेफ, सेफ इण्डिया, आक्सफॉयड ट्रस्ट इत्यादि केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों तथा उनसे सम्बन्धित विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। केन्द्र/राज्य सरकार तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए सेतु का कार्य करना इसके लिए केन्द्र/राज्य से दान-अनुदान तथा ऋण प्राप्त करना।

(16) आधुनिक शिक्षा सम्बन्धित रोजगार कार्यक्रम आज के आधुनिकतम विषय कम्प्यूटर और साफ्टवेयर टेक्नोलाजी, डिजाइन, ललित कला, पत्रकारिता, खेल कूद, व्यक्तित्व विकास, शिल्पकारिता, कम्यूनिकेशन आदि विषयों के शिक्षण व प्रशिक्षण एविं शोध कार्य करने हेतु विद्यालय की स्थापना व संचालन तथा प्राप्त आय से गरीबों में खर्च करना।

(17) डेकेयर तथा मनोरंजन केन्द्रों की स्थापना, समाज के निराश्रित वृद्धों, महिलाओं एवं बच्चों विशेषतया निर्बल एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित लोगों के लिए डे केयर सेण्टर कल्याण केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भूले भटके शिविरों का आयोजन, संचालन व प्रचार-प्रसार करना।

(18) लोगों को अल्प बचत कार्य के प्रति प्रेरित करना तथा स्व-रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना। सेल्फ-हैल्प ग्रुप (स्व-सहायता समूह) गठित करके अल्प बचत योजना को बढावा देना तथा सामूहिक/व्यक्तिगत ग्रामोद्योग तथा इनकम जनरेटिंग कार्यक्रम के लिए प्रेरित करना। इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष, नाबार्ड तथा सिडवीं इत्यादि से ऋण/अनुदान प्राप्त करना।

(19) एकीकृत ग्राम्य विकास ग्राम्य तकनीकी विकास, त्वरित ग्राम्य पेयजल आपूर्ति, ग्राम्य स्वच्छता विकास कार्यक्रम, ग्रामीण औद्योगीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा जैसी

राजेन्द्र प्रताप सिंह

2192 25/1/010

21/9/010

31/3/10

OFFICER

2010

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 200315

योजनाएं, बंजर भूमि का विकास, अनुसूचित जाति/जनजाति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को कोचिंग एवं लोगों के कल्याण कार्यक्रमों, बंधुआ मजदूरों का अवमुक्तीकरण एवं पुर्नवास, बाल श्रमिकों के प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा एवं भोजन आदि की नि:शुल्क व्यवस्था करना।

(20) भारतीयों में राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम का अलख जगाना, देश की राज व्यवस्था, संवैधानिक अधिकारों, मानव अधिकारों तथा विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी देना, अनुसूचित जाति, जनजाति के संरक्षण हेतु कानूनों, नागरिकता के कर्तव्यों, निष्पक्ष मतदान, चुनावी प्रक्रिया, धर्मनिरपेक्षता, जातीय, भाषीय और क्षेत्रीय एकता जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाना। रकतदान, नेत्रदान, नशाबन्दी, एड्स जैसे मुद्दों पर लोगों को जागृत करना।

(21) अन्य वे सभी भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत मान्य हो।

(6) **न्यास के न्यासीगण जिनके सम्पूर्ण समूह को न्यासी मण्डल/न्यासी परिषद कहा जायेगा एवं इनकी कार्य पद्धति :**

(अ) प्रधान न्यासीगण : आजीवन इस विलेख के निष्पादकगण उपरोक्त

(ब) मुख्य न्यासी - : आजीवन राजेन्द्र प्रताप सिंह उपरोक्त

जिनकी मृत्यु त्याग पत्र अथवा कार्य क्षमता समाप्ति पर प्रधान न्यासीगण क्रमवार आजीवन माधुरी सिंह तत्पश्चात तत्कालीन मुख्या न्यासी द्वारा नामित करने पर उपरोक्ता परिस्थिति के अनुसार प्रधान न्यासीगण के परिवार के अन्य कोई वयस्क एवं योग्य व्यक्ति जो वर्तमान न्यास के प्रति रूचि व निष्ठा रखता हो और उसके लिए समप्रित व संकल्पित हों।

राजेन्द्र प्रताप सिंह

क्रम संख्या 2193 ...... विक्रय की तिथि 25/1/010

[illegible] ....

[illegible] 21906

[illegible] की ...... 50/ पचास

अशोक कुमार श्रीवास्तव

[illegible]

ला०............ 31/8/10

सिविल कोर्ट, कानपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (6) 75AA 974443

(स)	अन्य सामान्य न्यासीगण :	प्रधान न्यासीगण के परिवार का रक्त सम्बन्धित कोई अन्य व्यक्ति जो वर्तमान न्यास में रूचि व निष्ठा रखता हो और उसके प्रति संकल्पित व समर्पित हो। उसका समय-समय पर विधि व्यवहार व आवश्यकता के अनुसार चयन न्यासी मण्डल के द्वारा बहुमत से होता रहेगा।
(ट)	न्यासीगण मण्डल की सदस्य सीमाः	न्यासी मण्डल के सदस्यगण की कुल संख्या 21 से अधिक नहीं होगी।
(ई)	न्यासी मण्डल व न्यास की कार्य पद्धति आदि :	वर्तमान न्यास और उक्त न्यासी मण्डल के सभी अधिकार कर्तव्य दायित्व आदि व उसकी कार्य पद्धति वर्तमान विलेख के अधीन भारतीय न्यास अधिनियम से शासित होंगे और तद्नुसार विधि, विधि व्यवस्था व व्यवहार के अनुसार न्यास के हित में सभी कार्यादि और व्यवहार एवं प्रस्ताव विनिश्चय होंगे और कर्तव्यों व दायित्वों का वहन होगा।
(य)	न्यासी मण्डल में अन्य रिक्त की पूर्तिः	उक्त न्यासीमण्डल उक्त प्रधान न्यासीगण आदि किसी उपरोक्त दशा में किसी सदस्य की रिक्ति पक्षपात की स्थिति में किसी अन्य सदस्य का उनके स्थान पर न्यासी मण्डल उसी प्रकार उक्त प्रधान न्यासीगण के परिवार का कोई अन्य रक्त सम्बन्ध जो वर्तमान न्यास के प्रति रूचि व निष्ठा रखता है और उसके प्रति संकल्पित व समर्पित है का चयन बहुमत रूप में करेगा।

राजेन्द्र प्रताप सिंह

२३०६ २६।११।०१०

१०)

राजेन्द्र प्रतापसिंहरामकृपाल उ०० अरधपा हरिश्चन्द्रनगर
डोभी जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

75AA 974444

(ज) वर्तमान न्यास अपना सारा कार्य लिपिबद्ध रखेगा, उसकी सम्पत्ति के दबाव का न्यासी मण्डल का आय-व्यय का न्यासी मण्डल की बैठकों के आयोजन व उसकी सामान्य बैठक एवं माह मार्च में वार्षिक बैठक की कम से कम 15 दिन पूर्व की एवं आपात बैठक की कम से कम 3 दिन पूर्व लिखित सूचना कर बैठकों में प्रस्तावित विषयों की सूची का बैठकों की कार्यवाहियों एवं प्रस्तावों का एवं उसके अन्य कार्य कलाप का लिखित अभिलेख पंजिका पत्राचार एवं अन्य अभिलेखों एवं न्यास के विलेखों का तदनुसार विरचना के बाद सुरक्षित रखेगा और वार्षिक आय-व्यय की उचित आडिट कराता रहेगा मात्र उससे सम्बन्धित सभी देयों एवं भुगतानों आदि का भी अभिलेख रखेगा और वर्तमान न्यास के हित व विकास व प्रसार के लिए सम्भव कार्य एवं प्रयास करेगा एवं उसके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को उपलब्ध करेगा एवं किसी प्रकार का कोई अत्याचार, भ्रष्टाचार दुर्व्यवस्था आदि नहीं होने देगा।

(झ) वर्तमान न्यास के सभी कार्य कलाप तदनुसार आचरण करते हुए मुख्य न्यासी के द्वारा या उसके निर्देश अधीन किसी सक्षम योग्य व्यक्ति के द्वारा संचालित होता रहेगा, जिस पर मुख्य रूप से प्रधान न्यासीगण एवं सामान्य रूप से न्यासी मण्डल का नियंत्रण रहेगा और किसी आपात कालीन स्थिति में मुख्य न्यासी के द्वारा न्यास के हित में उपरोक्तानुसार कृत कोई कार्य मान्य होगा।

(क) किसी अत्यन्त अप्रत्याशित विषय कठिन एवं अन्य आपातकालीन परिस्थिति में न्यास के हित में प्रधान एवं संस्थापक न्यासीगण का सर्वसम्मति या बहुमत का निश्चय या प्रस्ताव मान्य व प्रभावी होगा।

(7) वर्तमान न्यास में प्रधान न्यासीगण ने सम्यक 5000/- रू0 का निवेश किया है जो उसकी प्रारम्भिक पूँजी एवं सम्पत्ति है और न्यास के द्वारा भविष्य में भी स्वयं अन्य चल या अचल सम्पत्ति अर्जित की जा सकेगी या उसके पक्ष में उसकी व्यवस्था व प्रदान हो सकेगा जिसके लिए

रामेन्द्र प्रताप सिंह

९३०६ ...... २६।९।०९०

१०

राजेन्द्र प्रताप पुत्र रामकृपाल उम्र

उमरपुर हरिबन्धनपुर हवेली जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (8) 75AA 974445

न्यासी मण्डल भी सतत सक्रिय व प्रयत्नशील रहेगा और उसका निवेश या जमा किसी मान्य राष्ट्रीय कृत अथवा अन्य वाणिज्यिक बैंक में या मान्य व ख्याति वित्तीय संस्था में होगा जिसके भी अभिलेखों का उपरोक्तानुसार संरक्षण होगा।

(8) उक्त मुख्य न्यासी वर्तमान न्यास का मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रतिनिधि रहेगा और न्यास के सभी कार्य कलापों का कुशल व सफल व समुचित संचालन करेगा और उसके सम्पत्ति की देख-रेख व सुरक्षा करेगा और आवश्यकतानुसार यथासम्भव न्यास व उसकी सम्पत्ति के हित में कोई विधिक अथवा न्यायिक कार्यवाही करने और उसके लिए कुल कार्य करने का अधिकारी होगा और न्यास या उसकी सम्पत्ति के विरूद्ध किसी विधिक या न्यायिक कार्यवाही का उचित प्रतिवाद और उनकी उचित प्रतिरक्षा करेगा और उसके लिए आवश्यक सभी कार्य करेगा जो प्रधान न्यासीगण की सहमति व संज्ञान में रहेगा और उसकी सूचना आगामी बैठकों में न्यासीमण्डल को भी देता रहेगा और न्यासी मण्डल की भी सहमति, अनुमोदन अथवा मार्ग दर्शन प्राप्त करता रहेगा और उसके भी अभिलेखों का उपरोक्तानुसार संरक्षण करेगा।

टाइपकर्ता के हस्ताक्षर (signature)

राजेन्द्र प्रताप सिंह

मसौदाकर्ता के हस्ताक्षर उमाकांत वर्मा नवीन सदर जौनपुर

साक्षी नं0 1- विमल कुमार यादव रामचन्द्र यादव ग्राम [illegible] जौनपुर

साक्षी नं0 2- आनन्द कुमार सिंह स्टाम्प विक्रेता जौनपुर

२३०८ ...... स्टाम्प विक्रय की तिथि २६।९।०१०

स्टाम्प लेने वाले का प्रयोजन .... स्टाम्प की धनराशि १०

स्टाम्प लेने वाले का नाम व पूरा पता राजेन्द्र प्रताप पुत्र रामचन्द्र पाल [illegible]

[illegible]

स्टाम्प [illegible] लाइसेन्स [illegible]

दिवानी न्यायालय, [illegible]

क्र.वि..................

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा 32 ए के अनुसार

फिंगर प्रिन्ट्स

विक्रेता राजेन्द्रप्रताप सिंह 25.1.90

1 -	नि0 बायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
	नि0 दायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
2 -	नि0 बायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
	नि0 दायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
3 -	नि0 बायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
	नि0 दायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
4 -	नि0 बायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका
	नि0 दायाँ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनामिका

आज दिनांक **29/01/2010** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **54**

पृष्ठ सं. **41** से **58** पर क्रमांक **14**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

([illegible] सिंह)

उप निबन्धक (सदर)

जौनपुर

29/1/2010